कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा।

पत्रांक 1268/C-14 दिनांक 26/4/19

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
मथुरा।

विषय– जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग (प्र0जि0मा0–143) के कि0मी0 3 हे0 6.0 (चैनेज 2.410) में स्थित ग्राम बरहना, तह0–छाता के खसरा सं0 617 में सड़क के बांयी ओर आवेदक मै0 रिटेल सेल्स मैनेजर, वास्ते इंडियन ऑयल कॉरपोरेश लि0, 65/2, संयज पैलेस, आगरा द्वारा नवीन रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ– अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत, लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 1393/44सी–आ0वृ0/19 दिनांक 24.04.2019 एवं आपका पत्रांक 372/जि0पू0अ0–पैट्रो0लि0–अना0–प्र0–पत्र/18 दिनांक 01.04.2019

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग (प्र0जि0मा0–143) के कि0मी0 3 हे0 6.0 (चैनेज 2.410) में स्थित ग्राम बरहना, तह0–छाता के खसरा सं0 617 में सड़क के बांयी ओर आवेदक मै0 रिटेल सेल्स मैनेजर, वास्ते इंडियन ऑयल कॉरपोरेश लि0, 65/2, संयज पैलेस, आगरा द्वारा नवीन रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) के निर्माण की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र वर्तमान मार्ग के मध्य रेखा 22.86 मी0 की दूरी पर मानचित्र में दर्शाये अनुसार रिटेल आउटलेट की बफर स्ट्रिप, 32.36 मी0 दूरी पर रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) निर्माण तथा 57.68 मी0 दूरी पर भवन का निर्माण किया जाये। 22.86 मी0 की दूरी के अन्दर किसी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक द्वारा न किया जाये, की संस्तुति निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जाती है :–

1. आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) लगाने के उपरान्त किसी भी प्रकार से यातायात संचालन में कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाये।
2. आवेदक को प्रत्येक दशा में रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) परिसर के पानी का बहाव इसी प्रकार रखना होगा कि पानी बिना अवरोधक के सीधा मार्ग सीमा के सामान्तर बनने वाली प्रस्तावित नाली में ही आये। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़क का पानी पहुंच मार्ग से इसी नाली में पहुंचे। पानी किसी भी दशा में सड़क पर एकत्रित न हो पाये।
3. मार्ग से रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) के स्थल का लेवल मार्ग की लेपित सतह से ऊंचा नही रखा जायेगा।
4. प्रस्तावित रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) मार्ग का निर्माण आई0आर0सी0 के कोड सं0 12 (1983) के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
5. प्रस्तावित रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) के पहुंच मार्ग पर 1 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाना आवश्यक होगा।
6. रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) के पहुंच मार्ग पर निर्मित की जाने वाली इस पुलिया के ऊपर स्टील पाइप के केटिल क्रेचर बना दिये जाये तांकि मार्ग का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साइड नाली से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके। किसी भी दशा में इस नाली/नाले को बन्द नही किया जायेगा।
7. रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) के पहुंच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 के मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 13 के नियमों/प्राविधानों के अनुसार निर्मित की जायेगी।

13/5/19

मो. एहतशाम जुबैरी / Mohd. Ehtasham Zuberi
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स)/ Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (वि. प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा मण्डल कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा– 282002 (यू.पी)
65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)

8. रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) के पैब्ड एरिया का लेविल लेपित मार्ग के मध्य बिन्दु की सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जाये।

9. बफर स्ट्रीप के पास हेजिज की ऊंचाई 0.60 मी0 से ऊपर कदापि न रखी जाये।

10. निर्माण स्थल वाली भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद होने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वत ही निरस्त समझा जायेगा।

11. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा करा दिया जाये। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

12. यदि उक्त भूमि किसी अन्य स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आती है तो आवेदक को सम्बन्धित विभाग द्वारा अलग से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

13. लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग चौड़ीकरण के समय इस रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) को अन्य किसी स्थान पर शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए लो0नि0वि0 द्वारा किसी प्रकार का कोई मुआवजा नही दिया जायेगा।

14. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण से मार्ग तक एप्रोच मार्ग की लीज रिटेल आउट लेट (पैट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु अनुमति मिलने के उपरान्त लो0नि0वि0 से लो0नि0वि0 की परिकल्पनाओं एवं नियमों के अनुसार लीज एग्रीमेन्ट में वर्णित शर्तो के रूप में अलग से करानी होगी। अन्यथा यह अनुनति मान्य नही होगी।

15. सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक RW/NH-33023-19/99-DO-III Dt. 31.08.2000 एवं पत्रांक RW/NH-33023-19/99-DO-III Dt. 25.09.2013/ 17.10.2003 एवं पत्रांक RW/NH-33023-19/99-DO-III Dt. 24.07.2013 में दी गयी गाइड लाइनों एवं शर्तो के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– संस्तुति सहित मानचित्र दो प्रति में।

26.4.19

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मथुरा। 26/4/19

पत्रांक दिनांक

1. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (चतुर्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

2. प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा0)/खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मथुरा।

12/5/19

मो. एहतशाम जुबैरी / Mohd. Ehtasham Zuberi
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स)/ Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (वि. प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा मण्डल कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा– 282002 (यू.पी)
65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)